राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7 (51) परि/नियम/मु./2011/27537 जयपुर,दिनांकः– 18/6/17

कार्यालय आदेश...2.../2016

माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा पीआईएल संख्या 191/2013 अमित अशोक त्रिभुवन बनाम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं अन्य में बधिर व्यक्तियों को वाहन चालन हेतु लाईसेंस स्वीकृत करने के क्रम में किये गये निर्णय की अनुपालना में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर निदेशक (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 28.11.2016 से दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त निर्देशों की पालना में बधिर व्यक्तियों को चालक लाईसेंस जारी करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः

1. यदि कोई व्यक्ति बधिरता से ग्रसित है परन्तु श्रवण विकार से संबंधित डॉक्टर द्वारा इसके निवारण हेतु श्रवण यंत्र लगाने के पश्चात व्यक्ति को सही सुन पाने का मेडीकल प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चालक लाईसेंस प्रदान किया जा सकता है परंतु इस प्रकार के व्यक्तियों को चालक लाईसेंस स्वीकृत करने से पूर्व सामान्य व्यक्तियों की भांति वास्तविक रूप से वाहन चालन क्षमता का परीक्षण लिया जावें।
2. बधिर व्यक्तियों के लाईसेंस जारी करते समय निर्देशित किया जावें कि उनके द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों के आगे व पीछे के भाग पर एक विशेष चिन्ह् जो यह प्रदर्शित करता हो कि वाहन का चालक बधिरता से ग्रसित है, लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे। विशेष चिन्ह् का नमूना **'परिशिष्ट–1'** पर संलग्न है।
3. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत् रखते हुये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 8(4) के अन्तर्गत चालक लाईसेंस प्रकरणों का निस्तारण किया जावें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमांकः प.7 (51) परि/नियम/मु./2011/27538-44 जयपुर,दिनांकः-18/4/17

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
5. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)
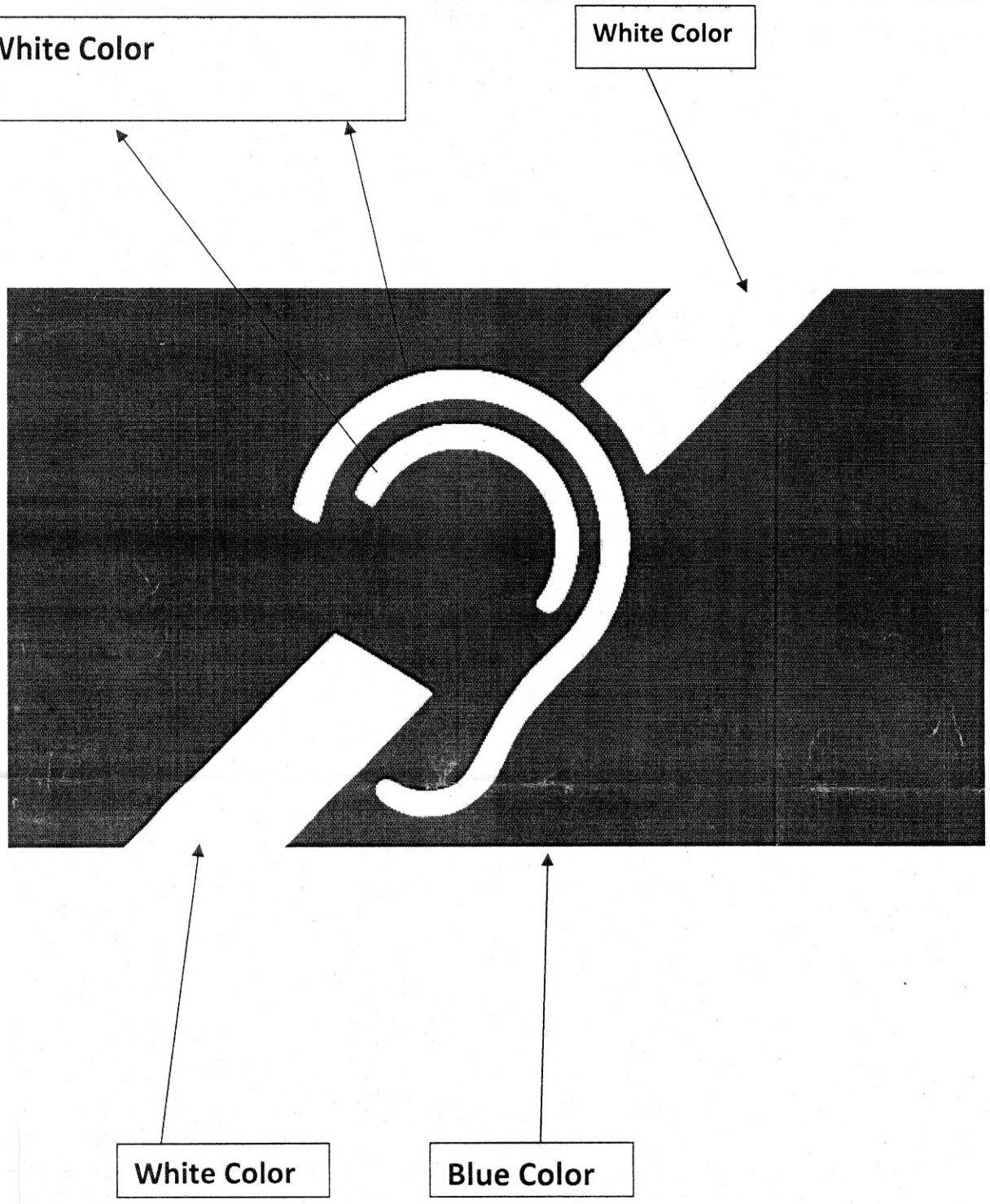
'परिशिष्ट–1'